रजिस्ट्री सं. डी (डी एन.)-127 REGISTERED NO. D. (D.N.) 127

भारत का राजपत्र
The Gazette of India

असाधारण
EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (i)
PART II—Section 3—Sub-section (i)

प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 115] नई दिल्ली, सोमवार, मार्च 25, 1991/चैत्र 4, 1913
No. 115] NEW DELHI, MONDAY, MARCH 25, 1991/CHAITRA 4, 1913

इस भाग में भिन्न पृष्ठ संख्या दी जाती है जिससे कि यह अलग संकलन के रूप में रखा जा सके
Separate Paging is given to this Part in order that it may be filed as a separate compilation

जल-भूतल परिवहन मंत्रालय

(पत्तन पक्ष)

अधिसूचना

नई दिल्ली, 25 मार्च, 1991

सा.का.नि. 180(अ).—केन्द्र सरकार, महापत्तन न्यास अधिनियम, 1963 (1963 का 38) की धारा 132 की उपधारा (1) के साथ पठित धारा 124 की उपधारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, मुरगांव पत्तन न्यासी मंडल द्वारा बनाए गए और इस अधिसूचना के साथ संलग्न अनुसूची में मुरगांव पत्तन न्यास कर्मचारी (छुट्टी यात्रा रियायत) (दूसरा संशोधन) विनियम, 1991 का अनुमोदन करती है।

2. उक्त विनियम इस अधिसूचना के सरकारी राजपत्र में प्रकाशन की तारीख को प्रवृत्त होंगे।

[फा. सं. पी. आर.-12016/15/91-पी.ई.I]

अशोक जोशी, संयुक्त सचिव

गोपनीय

मुरगांव पत्तन न्यास

परिशिष्ट-I

अनुसूची

मुरगांव पत्तन कर्मचारी (छुट्टी यात्रा रियायत)
विनियम, 1964 में संशोधन

प्रमुख पत्तन अधिनियम, 1963 (1963 का 38) की धारा 124(1) और (2) के साथ पठित धारा-28 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए मुरगांव पत्तन का न्यासी मण्डल मुरगांव पत्तन कर्मचारी (छुट्टी यात्रा रियायत) विनियम, 1964 में और संशोधन करने के लिए निम्नलिखित विनियम बनाता है, यथा:

(1) इन विनियमों को मुरगांव पत्तन कर्मचारी (छुट्टी यात्रा रियायत) (दूसरा संशोधन) विनियम, 1990 कहा जाएगा।

(2) केन्द्रीय सरकार की मंजूरी भारत सरकार के राजपत्र में प्रकाशित तारीख से ये विनियम प्रभावी होंगे।

(1) वर्तमान छु. या. रि. विनियम में संशोधन :—

वर्तमान विनियम-20 की प्रतिस्थापना निम्नलिखित विनियम-20 से की जाए :

20—दावा प्रस्तुत करने का तरीका (i) ऐसा मामला जिसमें यात्रा रियायत अग्रिम नहीं लिया गया है और अवधि जिसके भीतर कर्मचारी को वापसी यात्रा की समाप्ति के बाद दावा प्रस्तुत करना है यह तीन महीने होगी। तदनुसार, छुट्टी यात्रा रियायत दावे की प्रतिपूर्ति, जहां उसके द्वारा अग्रिम नहीं लिया गया है, का उसका हक जब्त होगा अथवा समाप्त हुआ माना जाएगा यदि वापसी यात्रा की तारीख की समाप्ति के तीन महीने के भीतर दावा प्रस्तुत नहीं किया जाता है और ऐसे मामले जिनमें छुट्टी यात्रा रियायत अग्रिम लिया गया है उस स्थिति में अंतिम बिल वापसी यात्रा के एक महीने के भीतर प्रस्तुत करना होगा। यदि ऐसा नहीं किया जाता है तो इस प्रकार की अग्रिम की मंजूरी देनेवाले प्राधिकारी तत्काल एकमुश्त में अग्रिम रकम की वसूली करेगा और जब एक बार इस प्रकार की वसूली की जाती है तो यह समझा जाएगा कि कोई अग्रिम नहीं लिया गया है और वापसी यात्रा से तीन महीने के भीतर दावा स्वीकार किया जाएगा अन्यथा इसे जब्त किया जाएगा ।

तथापि, वास्तविक कठिनाइयों के कारण समंजन बिल प्रस्तुत नहीं करने के मामलों में निर्धारित तीन महीने की अवधि को अध्यक्ष बढ़ा सकते हैं।

(ii) ऐसे मामले जिनमे अग्रिम का पूरा उपयोग नहीं किया गया है किन्तु समय के भीतर समंजन बिल प्रस्तुत किया गया है तो अप्रयुक्त रकम पर अग्रिम लेने की तारीख से अग्रिम वापस करने की तारीख तक वाहनों की खरीद के लिए अग्रिम मोटरकार से भिन्न दर निर्धारित ब्याज की दर पर ब्याज तथा ढाई प्रतिशत प्रतिवर्ष ब्याज लगाया जाएगा।

(iii) ऐसे मामले जिनमे निर्धारित समय के भीतर समंजन बिल प्रस्तुत नहीं किया जाता है, तो निर्धारित समय की समाप्ति के तत्काल बाद संपूर्ण अग्रिम की रकम को एकमुश्त में वसूला जाएगा। इस प्रकार के मामलों में ब्याज का दर उपर्युक्त उप-खण्ड (ii) में निर्धारित दर पर अग्रिम लेने की तारीख से अग्रिम की रकम वसूल करने की तारीख तक ब्याज लगाया जाएगा ।

तथापि, वास्तविक कठिनाइयों के कारण समंजन बिल प्रस्तुत नहीं करने के मामले में ब्याज लगाने को अध्यक्ष माफ कर सकते हैं ।

MINISTRY OF SURFACE TRANSPORT

(Ports Wing)

NOTIFICATION

New Delhi, the 25th March, 1991

G.S.R. 180(E).—In exercise of the powers conferred by sub-section (1) of Section 124, read with sub-section (1) of Section 132 of the Major Ports Trusts Act, 1963 (38 of 1963), the Central Government hereby approves the Mormugao Port Employees (Leave Travel Concession) (Second Amendment) Regulations, 1991 made by the Board of Trustees for the Port of Mormugao and set out in the Schedule annexed to this notification.

2. The said regulation shall come into force on the date of publication of this notification in the Official Gazette.

[PR-12016|15|91-PE. I]
ASHOKE JOSHI, Jt. Secy.

MORMUGAO PORT TRUST

CONFIDENTIAL

ANNEXURE—I

SCHEDULE

AMENDMENT OF MORMUGAO PORT EMPLOYEES' (LEAVE TRAVEL CONCESSION) REGULATIONS, 1964

In exercise of the powers conferred by Section 28 read with Section 124(1) & (2) of the Major Port Trusts Act, 1963 (38 of 1963, the Board of Trustees of the Port of Mormugao, hereby makes the following regulations further to amend the Mormugao Port Employees' (Leave Travel Concession) Regulations, 1964 :—

(i) These regulations may be called the Mormugao Port Employees' (Leave Travel Concession) (Second Amendment) Regulations, 1990.

(ii) These regulations shall be effective from the date of publication of the sanction of the Central Government in the Gazette of India.

(I) Amendment o Regulation 20 of the existing L.T.C. Regulations :—

Delete the existing Regulation 20 and substitute the following Regulation 20 namely :—

"20—MODE OF PREFERRING CLAIM.—(i) In case where no travel advance had been drawn the period within which an employee should submit his claim on completion of the return journey should be 3 months. Accordingly, his right for reimbursement of his LTC claim, where no advance is drawn by him, shall stand forfeited or be deemed to have been relinquished if the claim is not preferred within three months of the date of completion of return journey, and, in cases where advance has been drawn towards LTC the final bill have to be preferred within one month of the completion of return journey. If that is not done, the authority which sanctioned the advance should enforce lump sum recovery of the advance forthwith and once such recovery is made, it should be taken as if no advance had been drawn and the claim allowed to be preferred within a period of 3 months from completion of return journey failing which it shall stand forfeited.

However, Chairman may extend the prescribed time limit of 3 months in cases where non-submission of adjustment bill can be attributed to genuine difficulties.

(ii) In cases where advance is not utilised fully but the adjustment bill is submitted in time, interest may be charged at the rate prescribed for advances for purchase of conveyance (other than motor car) plus 2-1|2

per cent per annum on the unutilised portion of the advance from the date of drawal of advance to the date of refund of advance.

(iii) In cases where adjustment bill is not submitted within the prescribed time, the entire amount of advance may be recovered in one lumpsum immediately on expiry of such time limit. In such cases interest may be charged at the rate of interest prescribed at Sub-Clause (ii) above on the entire amount of advance from the date of drawal to the date of recovery of amount.

Chairman, may however waive charging of interest, in cases where non-submission of adjustment bill can be attributed to genuine difficulties.

N.B.—GSR No. and date of publication of the principal Regulations and the subsequent amendments :—

1. Principal Regulation.—GSR No. 959 dated 22-6-1964 published in the Gazette of India, Extraordinary, Part II, Section 3, Sub-section (i) dated 1-7-1964.

2. Subsequent Amendments :

(i) Central Government's sanction No. 7-PE (26)73 dated 30-6-1973, published in the Official Gazette of Government of Goa, Daman and Diu Series III, No. 16 dated 19-7-1973.

(ii) Central Government sanction No. PEG (9)75 dated 2-4-1975, published in the Official Gazette of Government of Goa, Daman and Diu, Series III, No. 4 dated 25-4-1975.

(iii) Central Government's sanction No. PEG (26)|75 dated 18-8-1975, published in the Official Gazette of Government of Goa, Daman and Diu, Series III, No. 23 dated 4-9-1975.

(iv) Central Government sanction No. PEG (4)|79 dated 19-5-1979, published in the Official Gazette of Government of Goa, Daman and Diu, Series III, No. 11 dated 14-6-1979.

(v) Central Government sanction No. PR-12016|8|86-PE-I dated 27-2-1987, published in the Gazette of India dated 24-12-1986.

Printed by the Manager, Govt. of India Press, Ring Road, New Delhi-110064
and Published by the Controller of Publications, Delhi-110054, 1991